

ग. 4 मा. 4 की राजस्थान लोक अदालत डिफरेंस
पंचायत वसोडा में पेश हुई। उभय पक्षों को
दिलवायी गई। बाबजूद सूचना अनु० 1 पंचायत
अवलोकन क्रि. 3 मा. दावा प्राथमिक डिफरेंस
12.04.2012 के निर्णय किन्तु जाकर वास्तव
वंधवारा स्कीम इन्तजार पास गयी। मुताबिक प्रा
डिफरेंस आदेश दि० 12.4.2012 अ० आभूत निरी
पुत्र खेडा द्वारा वंधवारा स्कीम मधु इस लेपार
कर दि० 21.6.13 के भिजवायी गई। किन्तु शीतल
मिसल की जाकर रिकार्ड पर लिखा जाना नहीं पाया
जाता है। आदेशिक दि० 20.11.15 के विद्वा किन्तु
जाता है। प्रस्तुत वंधवारा स्कीम दि० 21.6.13
के अनुसार उपस्थित ग्रामीणों के सुनाया गया।
जिसे स्वीकार किन्तु अतः दावा वादीगण फरिद
डिफरेंस किया जाता है। लहरीसहर डिफरेंस के
आदेश दिया जाता है कि मुताबिक वंधवारा
स्कीम दिनांक 21.6.2013. ग्राम कारवाड स्थित
ख० नं० 929 के दो हिस्से किये जाकर 929 ख० नं०
0.30 है। 929 ख० नं० 0.30 है। प्रस्तावित नक्शा
इस के मुताबिक लरमीग की जावे।

